

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0पूर्णपीठ/ 814 /2023 दिनांक:- जून, 20 ,2023

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 03.08.2023 एवं 04.08.2023 को पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित पूर्ण पीठ मेरे अतिरिक्त श्री राजीव रंजन, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 इलाहाबाद एवं श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाय।

ह0 20.06.2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0पूर्णपीठ/ 814 /2023 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 इलाहाबाद व पीठ-1/2/3 लखनऊ।
2. मुन्सरिम/ पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/~~कन्सुलर~~) मुख्यालय।
3. आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ